बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)–01/2025–26

पत्रांक 612 **/ बिहारशरीफ** **दिनांक** 10/03/**2026**

अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ के द्वारा परिक्षेत्राधीन तटबंध निरीक्षण/सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/कटाव निरोधक कार्य/बाढ़ सुरक्षात्मक/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य/अन्य कार्यान्वित योजना इत्यादि के देख–रेख, उच्चाधिकारियों की बैठको में भाग लेने, अनुश्रवण एवं अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु भाड़े पर एक अदद वातानुकूलित वाहन (स्कॉरपियो/समकक्ष वाहन, चालक सहित एवं ईंधन रहित) वित्तीय वर्ष 2026–27 में दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2027 तक निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन हेतु इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसका विवरण निम्न है:–

क्र०सं०	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी	वाहन परिचालन की कार्यान्वित अवधि	वाहन की संख्या	दर रू० में (प्रतिमाह सभी कर सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ	01.04.2026 से 31.03.2027 तक	एक (01) अदद	वाहन चालक सहित एवं ईंधन रहित	

(i) कोटेशन आमंत्रण कार्यालय का नाम एवं पता :– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ।

(ii) कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– 10.03.2026

(iii) कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– 23.03.2026 को 03:00 बजे अपराहन् तक।

(iv) कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ।

(v) कोटेशन खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 23.03.2026 को अपराह्न 03:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में।

नियम एवं शर्तें निम्नवत है:–

1. भाड़े पर वाहन का उपरोक्त सारणी के अनुसार निर्धारित अवधि तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2021 के पूर्व नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।

3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय तथा चालक के खान–पान एवं आवासन की व्यवस्था वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा ही किया जाएगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स, प्रदुषण प्रमाण–पत्र एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा तथा इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की होगी।
8. वाहन उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह चालक सहित एवं ईंधन रहित देय होगा। आपुरित वाहन के भाड़े का भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।
9. वाहन को उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्ट करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जाएगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जाएगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आपूरित वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से अथवा 10 (दस) कि०मी० प्रति लिटर में से जो भी अधिक हो, मान्य होगा।
11. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
12. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे।
13. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जाएगी।
14. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अद्योहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
15. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं वहां रह भी सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
16. इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 15 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 की सत्यापित प्रति तथा अपना कोटेशन दिनांक 23.03.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 03:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 23.03.2026 के 03:30 बजे अपराहन अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।

17. सभी वांछित कागजाग सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समान दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशनदाताओं के बीच बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 के तहत लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म को मोबाईल और ई–मेल के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता/फर्म या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लौटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधी की अनुपस्थिति में भी लौटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।
18. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।
19. कोटेशनदाता/प्राधिकृत प्रतिनिधि सीलबंद लिफाफे खोलने के समय उपस्थित रह सकते है। अन्यथा उनकी उपस्थिति के बिना भी सीलबंद लिफाफे खोले जायेंगे जिसके लिए किसी तरह का कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 7463889516 पर संपर्क किया जा सकता है।

10/3/26

अधीक्षण अभियंता
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल
बिहारशरीफ।

पत्रांक 612 / बिहारशरीफ दिनांक 10/03 /2026

प्रतिलिपिः– सुचना एंव जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/3/26

अधीक्षण अभियंता
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल
बिहारशरीफ।